भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3474

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

बागान श्रम अधिनियम

3474. श्री पल्लब लोचन दास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार बागान श्रम अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार किन नियमों/प्रावधनों में संशोधन/परिवर्तन करने की योजना बना रही है तथा उक्त परिवर्तन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार बागान श्रम अधिनियम, 1951 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 श्रम संहिता में सम्मिलित करने की योजना बना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु घटकों को सीमित कर बागान कामगारों को सही मजदूरी प्रदान करने, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने तथा कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करने में उपयुक्त एजेंसियों को शामिल करने व अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित विधेयक में बागान कामगारों को बेहतर कल्याणकारी सुविधाएं जैसे चिकित्सा, पेयजल, शिक्षा सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं इत्यादि प्रदान करने का भी लक्ष्य है।

****